

तारीख
हुकम

~~उद्योगिक कलक्टर एवं कार्यपालक अधिकारी~~
निशियल्स जज

2015/00013

नाम
अहम
हुकम
में

है। पत्रावली डाटा आदेशिका नुसार
आयंदा दिनांक 20/04/26 को पेश है।

B/o
रीडर

20/4/26

पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा अप्रतिभ
पत्रावली मय आदेशिका का अवलोकन किया
गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट
है कि प्रकरण 10 वर्षों से लंबित है। जबकि
अर्थात् निषेधाज्ञा का अवकाश पत्र तत्काल
राहत के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि
प्रकरण में किसी प्रकार की अंतिम अर्थात्
निषेधाज्ञा भी प्रदान नहीं की गई है। जिससे
यह प्रतीत होता है कि हस्तगत प्रकरण में
तत्काल राहत के संबंध में वर्तमान समय में
शर्मा के लिए उपयोगिता नहीं रही है।
अतः हस्तगत प्रकरण में बहाली (Restoration)
अर्थात् नवीन परिस्थिति उत्पन्न होने की स्थिति
में पुनः अवकाश पत्र प्रस्तुत करने की शर्मा
को छूट प्रदान करते हुए शर्मा का अवकाश
पत्र अंतर्गत धारा 212 R.A.A 1955 खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम होकर, दाखिल एपतर है।



उद्योगिक कलक्टर
(जोधपुर)